

(आदेश 20 नियम 6.7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

श्री बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बडीसादडी

1. श्री कैलाश पिता सुरजमल ब्राहमण नि.महुड़ा तह. बडीसादडी
2. श्री ओमप्रकाश पिता सुरजमल ब्राहमण नि.महुड़ा तह. बडीसादडी
3. श्रीमति दुर्गा पुत्री सुरजमल ब्राहमण नि.महुड़ा तह. बडीसादडी
4. श्रीमति सीमा पुत्री सुरजमल ब्राहमण नि.महुड़ा तह. बडीसादडी
5. श्री मोतीलाल पिता सुरजमल ब्राहमण नि.महुड़ा तह. बडीसादडी
6. श्री दुर्गा शंकर पिता सुरजमल ब्राहमण नि.महुड़ा तह. बडीसादडी

— वादीगण

|| बनाम ||


1. श्री सुरजमल पिता शंकरलाल ब्राहमण नि. महुड़ा तह. बडीसादडी
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

— प्रतिवादीगण

प्रकरण सं. 63/2021 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188,183 आर.टी.ए. वादी की ओर से वकील श्री अविनाश कुमार आमेटा और प्रतिवादी श्री विक्रमसिंह राठौड़ की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है। कि

राजीनामा अनुसार मौजा महुड़ा की वादग्रस्त आराजी नं.1068,1069, 1070, 1071,1074,1134,1135,1136,1241,1272,1283,1284,1285,594,756,791,793,795797,831,833, 834,836,837,839,841 कुल कित्ता 26 रकबा 5.82 हेक्टर भूमि में वादीगण 1 से 6 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा प्रतिवादी न. 01 का 1/7 हिस्सा घोषित अनुसार राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी में अंकन किया जावे। रहन बदस्तुर रहेगा। धारा 53,188,183 की दाद विद्धा की जाती है।

इस वाद के खर्चे... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित... को दी जावे। यह आज दिनांक. 14.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

क्रमांक/राजस्व/2021/ 181

दिनांक:- 28.10.21

मुल ही डिग्री की प्रति तहसीलदार बडीसादडी को भेजकर लेख है कि डिग्री अनुसार पालना की जाकर पालना से अवगत कराया जावे।




सहायक कलक्टर
बडीसादडी

